मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 8, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-4-2000-विक-पांच (74), दिनांक 16 जुलाई, 2002 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रघुवीर सिंह, राज्यमंत्री ~~श्रम~~ राजस्व, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2-28-सात-शा-8-97-पार्ट-3, दिनांक 8 नवम्बर, 2002 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का 30 जून, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(ख) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्यप्रदेश) के वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 1998 से 30 जून, 1999, 1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2000 तथा 1 जुलाई, 2000 से 30 जून, 2001,

(ग) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001

(घ) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000,

(ङ) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (मध्यप्रदेश) का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000,

(च) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 28 वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2000 तक तथा 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2000 से 30 जून, 2001 तक,

(छ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001) तथा वर्ष 2001-2002 (1 जुलाई, 2001 से 31 मार्च, 2002); एवं

(ज) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के 30 जून, 2000 तथा 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष,

के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सुभाष कुमार सोजतिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 2000) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक अशासकीय विद्यालयों को माध्यमिक-शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मुंशीलाल, लालसिंह, मुन्ना सिंह, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में कृषकों को पलेवा हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, रीवा जिले के मनगवां एवं दतिया में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के भवन का निर्माण न होने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद जिले के सोहागपुर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(5) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, भूपेन्द्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, जबलपुर से कुंडम जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त होने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बाबूलाल गौर, प्रभाकर सिंह, कुंवर विजय शाह, सदस्य, देवास जिले के ग्राम राजौदा के आदिवासियों की जमीन षड़यंत्रपूर्वक एक निजी कंपनी को बेचे जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) इंजी. फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम उचिया में एक आदिवासी का मकान जलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, शहडोल जिले की अमलाई पेपर मिल द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री सेवाराम गुप्ता, सदस्य, मुरैना नगरपालिका द्वारा विद्युत सामग्री क्रय किये जाने में अनियमितता होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के महाराजपुर क्षेत्र में उर्मिल बांध से पलेवा हेतु पानी न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री लालसिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के अनेक ग्रामों के आदिवासियों की भूमि अधिग्रहीत कर बेदखल किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले में पलेवा हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध लगाये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, सीधी जिले के रामपुर - नैकिन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री नरेश सिंह पटेल, रामपाल सिंह, प्रभाकर सिंह, सदस्य, रायसेन जिले की बारना परियोजना के विस्थापितों को भूमि का मालिकाना हक न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, देवास जिले के ग्राम चंदाना में नसबंदी आपरेशन के दौरान एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, बड़वानी जिले के राजपुर नगर में पेट्रोल का अवैध कारोबार होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम रतवार में एक वृद्ध आदिवासी महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) सर्वश्री बाबूलाल गौर, जुगुल किशोर, सदस्य, भोपाल स्थित बी.एच.ई.एल. की भूमि को राज्य शासन द्वारा लिये जाने हेतु पहल न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के बीरपुर तथा सुनेहरा मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक पोषण आहार न दिये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य, देवास जिले की खातेगांव कृषि उपज मंडी द्वारा मंडी शुल्क से सड़कों का निर्माण कार्य न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल की भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, जोधाराम गुर्जर, राजनारायण सिंह, सदस्य, रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासन के आदेशों का पालन न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, भूपेन्द्र सिंह, कमल पटेल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के सिमरा निवासी एक व्यक्ति की पुलिस पिटाई से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, बाणसागर परियोजना का कार्य अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री रसाल सिंह, करण सिंह वर्मा, रमेश सक्सेना, सदस्य, सीहोर स्थित भोपाल शुगर मिल को प्रबंधकों द्वारा बंद किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर नगर निगम द्वारा गंदी बस्ती उन्मूलन मंडल की राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण न किये जाने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) सर्वश्री खेमराज पाटीदार, मगनलाल गोइल, मनोहर ऊंटवाल, सदस्य, धार जिले के बदनावर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री लालसिंह राणावत, सदस्य, उज्जैन जिले की खाचरोद एवं नागदा तहसीलों में राहत कार्य प्रारंभ न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट नगर में केले पकाने हेतु जहरीले रासायनिक पदार्थ का उपयोग किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) सर्वश्री सुधाकर बापट, भूपेन्द्र सिंह, गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले में विद्यालयों के उन्नयन में भेदभाव किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) कुंवर विजय शाह, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सारंगपुर में एक महिला की जहर पिलाकर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड योजनाओं के अन्तर्गत सड़कों के टेण्डर स्वीकृत किये जाने में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु स्वीकृत राशि को खर्च न कर पाने की ओर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री कैलाश नारायण शर्मा, सदस्य, दतिया जिले में राजघाट नहर परियोजना की दबोह मायनर से पलेवा हेतु पानी न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलो में स्वीकृत भूमि पर पेट्रोल पंप न खोले जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) सर्वश्री मुंशीलाल, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), हिम्मत कोठारी, सदस्य, मुरैना जिले की अम्बाह तहसील में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित सम्पूरक ट्यूबवेलों की विद्युत लाईन काटी जाने से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री कमल पटेल, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, उज्जैन जिला चिकित्सालय में प्रवेश शुल्क में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री रामदास शिवहरे, सदस्य, खंडवा जिले की ग्राम पंचायत पांगरी में इंदिरा आवास निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले में कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री धूलसिंह यादव "वकील", सदस्य, राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी स्थित औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) सर्वश्री मुंशीलाल, [redacted], नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम ममोनी से एक शिक्षक का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बाबूलाल गौर, सदस्य, बालाघाट उत्तर वन मंडल के अन्तर्गत वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री धरमू राय, सदस्य, प्रदेश के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम अमावनी में बनाया गया बांध क्षतिग्रस्त होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना क्षेत्र में हिरणों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्री मुंशीलाल, सदस्य, ग्वालियर के बालाबाई बाजार में एक श्रमिक परिवार की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में दहेज के कारण एक महिला को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले में ट्यूबवेल उत्खनन में प्रतिबंध लगाये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, ग्वालियर जिले के राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-3 पर डाकुओं द्वारा बस यात्रियों के साथ लूट-पाट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(54) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के आस-पास क्रेशर मशीनों से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(55) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र के ग्राम लसूड़िया गोयल में आग से दो लड़कियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(56) श्री लाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बेसली बांध से कई ग्रामों की भूमि डूब में आ जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(57) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र में सिंचाई तालाबों का निर्माण न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(58) श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना से सीधी जा रही निजी यात्री बस नदी में गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(59) श्री भागवत भाऊ नागपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले की लाडरा स्थित विद्यालय के शिक्षकों को कई माह से वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(60) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर की पेयजल समस्या हेतु कारगर कदम न उठाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(61) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सतना जिले की कृषि उपज मंडी, सतना एवं नागौद में व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक कर की चोरी किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(62) श्री सेवाराम गुप्ता, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र में अवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(63) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील के नागदा गजौरा बांध की भूमि पर अतिक्रमण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(64) सर्वश्री सेवाराम गुप्ता, मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले की बामौर तहसील में ए.बी.रोड स्थित दुकानों को हटाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(65) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम बीरा में एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(66) सर्वश्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र सिंह तोमर, रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर नगर के एक छात्र का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-4-

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्रीमती सविता दीवान, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगीः –

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जावे."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शिवमोहन सिंह, सदस्य, सतना जिले के मगराज एवं बिधुई लिफ्ट इरीगेशन योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने,
(2) श्री भगवत सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम किनगी से बरेली तक सड़क बनाये जाने; तथा
(3) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, सागर नगर स्थित दुग्ध सहकारी महासंघ मर्यादित, सागर के सभी संयंत्रों को पुनः प्रारंभ कराये जाने,
(4) श्री जोधाराम गुर्जर, सदस्य, प्रदेश में कार्यरत सहायक आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमान में विसंगति होने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वक्तव्य

श्रीमती जमुना देवी, उप मुख्यमंत्री (महिला एवं बाल विकास), दिनांक 20 सितम्बर, 2001 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्रमांक 6601) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

निर्धारित समय

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

(2) प्रदेश में अल्प वर्षा तथा सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री कमल पटेल, नरेन्द्र बिरथरे, नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र सिंह तोमर, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), लक्ष्मीकांत शर्मा, धूल सिंह यादव "वकील", सोनेराम कुशवाह, भूपेन्द्र सिंह, लालसिंह, राव देशराज सिंह यादव, एडवोकेट विद्यावती पटेल, सुश्री कुसुम सिंह, सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुन्ना सिंह, डॉ. आई.एम.पी वर्मा तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे. — 1 घन्टा 30 मि.

9. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), कंकर मुंजारे, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों में समानता लाने हेतु पिछड़े वर्ग के समान क्रीमीलेयर का मापदण्ड निर्धारित किया जावे."

(2) श्री धूलसिंह यादव "वकील", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि सोयाबीन या अन्य फसलों में आफलन की स्थिति निर्मित होने पर मुआवजा दिये जाने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान किया जावे."

(3) श्री रसाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

50 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिये पवन ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की जाय तथा पवन चक्कियों के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जावे."

डॉ.ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 नवम्बर, 2002